न्यायालयः सिविल जज(जू.डि.)/जे.एम. हसनपुर, ज्योतिबाफुले नगर

उपस्थितः श्री राघवेन्द्र मणि, उ०प्र०न्यायिक सेवा

परिवाद सख्या– ५७८/२०१३

मौहम्मद शादाब.....प्रति.....१. अकरम उम्र लगभग ३५ वर्ष

२. असलम उम्र लगभग ३३ वर्ष

३. जैनुल उम्र लगभग ३० वर्ष

४. अशरफ उम्र लगभग २७ वर्ष

पुत्रगण दूल्हा निवासीगण मौ० काला शहीद कस्बा व थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।

धारा ३२३,४५२,३७९,४२७, ५०४,५०६ भा.द.स.
थाना हसनपुर

निर्णय

उपरोक्त परिवाद में न्यायालय द्वारा अपने तलबी आदेश दिनांकित ०३.१२.२०१३ के द्वारा अभियुक्तगण अकरम, असलम, जैनुल व अशरफ को धारा ३२३,४५२,३७९,४२७, ५०४,५०६ भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु तलब किया गया है।

सक्षेंप में परिवादी का कथन इस प्रकार है कि मुल्जिमान अकरम, असलम, जैनुल व अशरफ हैकड व बदमाश किस्म के व्यक्ति हैं। जिनके खिलाफ अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं। दिनांक २५.०७.२०१३ की रात्रि को भी मुल्जिमान ने उसके भाई शहजाद के साथ घर में घुसकर बुरी तरह से मारपीट की जिसकी शिकायत उसने पुलिस से की जिस पर मुल्जिमान चिढ़ गये। दिनांक २६.०७.२०१३ को समय लगभग ९.०० बजे सुबह की घटना है कि वह अपनी दकान स्थित दरगाह मार्केट गजरौला रोड हसनपुर के आगे बैठा हुआ था तभी चारों मुल्जिमान हाथों में लाठी डण्डा व सरिया लेकर चढ़ आये तथा आते ही गन्दी–गन्दी गालियां देते हुए बोले कि साले तूने पुलिस में हमारी खिलाफ रिपोर्ट की है, तेरा भाई तोबच गया मगर तुझे मजा वखाते हैं। उसको लाठी डण्डों व सरियों से बुरी तरह मारने पीटने लगे। मुल्जिम असलम ने उस पर चाकू से वार किया जो उसके जिस्म पर लगे। वह जान बचाने के लिये दुकान के अन्दर भागा तो मुल्जिमान भी जबरदस्ती दुकान में घुस आये तथा दुकान के अन्दर उसको बुरी तरह से मारा तथा उसकी दुकान का सामान तोड़फोड़ दिये। अकरम व जैनुल ने उसके गले पर लाठी रख दी तथा उस पर खडा होना चाहा जिससे उसकी चीख निकल गयी। जिसको सुनकर काफी भीड़ इकटठा हो गयी तो मुल्जिम अशरफ ने भीड़ को धमकाया कि अगर कोई बीच में आया तो यही अंजाम होगा। मगर भीड़ में से अब्दुल हमीद व इन्तजार आगे आये जिन्होंने अन्य लोगों की मदद से उसको बचाया वरना मुल्जिमान उसे जान से मार देते। मुल्जिमान उसके गल्ले में रखे रूपये भी चुराकर ले गये तथा जाते वक्त धमकी दी कि साले नसीब अच्छा है जो अब बच गया। मुल्जिमान ने धमकी दी कि अगर कोई कार्यवाही की तो जान से मार देगें। उसे काफी खुली व गुम चोटें आयी हैं।

न्यायालय द्वारा परिवादी व परिवादी के गवाहान के बयानों के आधार पर अभियुक्तगण अकरम, असलम, जैनुल व अशरफ को आदेश दिनांक ०३.१२.२०१३ के द्वारा धारा ३२३,४५२,३७९,४२७,५०४,५०६ भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय

अपराध के विचारण हेतु तलब किया गया।

अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये तथा न्यायालय द्वारा दिनांक १९.०८.२०१६ को धारा ३२३,४५२,३७९,४२७, ५०४,५०६ भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

परिवादी की ओर से अपने कथन के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में धारा २४४ व २४६ दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पी.डब्लु–१ परिवादी मौहम्मद शादाब को परीक्षित कराया गया है। अन्य कोई साक्षी परिवादी की ओर से अपने कथन के समर्थन में परीक्षित नहीं कराया गया है।

अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा ३१३ दण्ड प्रक्रिया संहिता दर्ज किया गया जिसमें उन्होंने घटना को गलत बताया तथा अपनी सफाई एवं बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

अभियुक्तगण के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३२३,४५२,३७९,४२७, ५०४,५०६ भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है जिसे पूर्ण एवं युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने का भार पर परिवादी पक्ष पर है।

साक्षी पी.डब्लु–१ मौहम्मद शादाब ने धारा २४४ दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत साक्ष्य देते हुए कथन किया है कि दिनांक दिनांक २५.०७.२०१३ की रात को मुल्जिमान ने घर में घुसकर मेरे भाई शहजाद के साथ मारपीट की जिसकी शिकायत उसने पुलिस में की। अगले दिन सुबह नौ बजे वह अपनी दुकान दरगाह मार्केट गजरौला के आगे बैठा हुआ था। मुल्जिमान लाठी डण्डे व सरिये लेकर चढ आये, गन्दी–गन्दी गालियां देते हुए मुझे मारने पीटने लगे। असलम ने चाकू से वार किया जो उसको लगा। वह जान बचाने को दुकान के अन्दर भागा तो ये लोग उसके साथ अन्दर आ गये तथा मेरे साथ मारपीट की तथा सामान तोड फोड दिया। अकरम व जैनुल ने उसके गले पर लाठी रखकर उस पर खडे होने का प्रयास किया। शोर सुनकर मौके पर काफी भीड इकटठा हो गयी जिसमें से अब्दुल हमीद व इन्तजार ने आगे आकर उसे बचाया। मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये।

साक्षी पी.डब्लु–१ मौहम्मद शादाब ने धारा २४६ दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देते हुए कथन किया है कि घटना का दिनांक व समय उसे याद नहीं है। अकरम, असलम, जैनुल व अशरफ उसकी दुकान, जो दरगाह मार्केट पर स्थित है, पर आये थे। मुल्जिमान की बहन का उसके भाई से विवाद चल रहा था। इसी सम्बन्ध में बातचीत हो रही थी। तभी गरमा गरमी हो गयी। मौके पर बहत से लोग इक्टठा हो गये। अत्यधिक भीड में धक्का मुक्की होने लगी। भीड व शोर होने के कारण उसे नहीं पता किसने जान से मारने की धमकी दी, किसने गाली दी, उक्त मुल्जिमान को उसने गालियां देते व जान से मारने की धमकी देते हुए नहीं सुना। मुल्जिमान ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की, दुकान के अन्दर भीड में इकटठा लोग खडे हो गये थे। इनसे मेरा कुछ सामान गिर गया था। मुल्जिमान उसकी दुकान में नहीं घुसे थे तथा न ही तोड फोड की। मुल्जिमान को रूपये निकालते हुए हमने नहीं देखा। मुल्जिमान ने उसकी दुकान से चोरी नहीं की थी। यह कहना सही है कि मेरा मुल्जिमान से समझौता हो गया है। यह कहना गलत है कि समझौते के कारण

मुल्जिमान को बचाने के लिये झूंठा बयान दे रहा हूं।

प्रस्तुत मामले में परिवादी द्वारा स्वय. सी.डब्लु–१ के रूप में धारा २४६ दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यद्यपि परिवाद में अंकित कथनों का समर्थन किया है परन्तु साक्षी पी.डब्लु–१ मौ० शादाब द्वारा धारा २४६ दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दिये गये बयान में यह स्वीकार किया गया है कि मुल्जिमान की बहन का उसके भाई से विवाद चल रहा था और इसी सम्बन्ध में बातचीत हो रही थी, तभी गरमा गरमी हो गयी। मौके पर बहुत से लोग इक्टठा हो गये और अत्यधिक भीड में धक्का मुक्की होने लगी। भीड व शोर होने के कारण उसे नहीं पता किसने जान से मारने की धमकी दी, किसने गाली दी, उक्त मुल्जिमान को उसने गालियां देते व जान से मारने की धमकी देते हुए नहीं सुना। उसके द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि मुल्जिमान ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की, दुकान के अन्दर भीड में इकटठा लोग खडे हो गये थे जिस कारण मेरा कुछ सामान गिर गया था। मुल्जिमान उसकी दुकान में नहीं घुसे थे तथा न ही तोड फोड की तथा मुल्जिमान को उसने रूपये निकालते हुए नहीं देखा और न ही मुल्जिमान ने उसकी दुकान से चोरी की थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि परिवादी की ओर से अपने कथन के समर्थन में परीक्षित कराये गये साक्षी पी.डब्लु–१ स्वयं परिवादी मौ० शादाब द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा २४६ दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिवाद में अंकित तथ्यों का समर्थन नहीं किया गया है। अन्य कोई साक्षी परिवादी की ओर से अपने कथन के समर्थन में परीक्षित नहीं कराया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय की राय में परिवादी पक्ष प्रस्तुत किये गये साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में विफल रहा है।

निष्कर्षतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण अकरम, असलम, जैनुल व अशरफ को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा ३२३,४५२,३७९,४२७,५०४,५०६ भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण उपरोक्त मामले में जमानत पर है। धारा ४३७–ए दण्ड प्रक्रिया संहिता में अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में दाखिल जमानत नामें व बंध पत्र निर्णय की तिथि से ६ माह की अवधि तक प्रभावी रहेगें। तत्पश्चात किसी प्रतिकूल आदेश के अभाव में उन्मोचित समझे जायेगें। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

३०.०८.२०१६

(राघवेन्द्र मणि)
सिविल जज(जू.डि.)/जे.एम.
हसनपुर
३०.०८.२०१६

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

३०.०८.२०१६

(राघवेन्द्र मणि)
सिविल जज(जू.डि.)/जे.एम.
हसनपुर
३०.०८.२०१६